महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:सामान्य/4/98/पार्ट–1/ 51299-404 दिनांक : 10.11.2021

आदेश

इस कार्यालय के पूर्व आदेश द्वारा कोविड महामारी के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए बंदियों से परिजनों/मित्रों/अधिवक्ताओं आदि की मुलाकात व्यवस्था आपातकालीन परिस्थितियों को छोड़कर आगामी आदेशों तक के लिए बन्द की गई थी।

कोविड संक्रमण का प्रभाव अभी तक पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है अतः बंदियों से परिजनों/मित्रों/अधिवक्ताओं आदि की दिनांक 11.11.2021 से मुलाकात व्यवस्था पुनः प्रारम्भ की जाती है। मुलाकात व्यवस्था के संबंध में निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं:-

1. विचाराधीन बंदी की 15 दिवस में एक बार व दण्डित बंदी की माह में एक बार मुलाकात करवाई जावेगी।
2. कॉविड के दोनों वैक्सीन लगे परिजन को ही मुलाकात की अनुमति होगी तथा इस हेतु मुलाकात के समय प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा।
3. एक बार में बंदी से एक परिजन ही मिल सकेगा।
4. मुलाकात का अधिकतम समय 15 मिनट रहेगा।
5. मुलाकात कक्ष में आने वाले प्रत्येक बंदी व परिजन के लिए मास्क लगाना अनिवार्य होगा।
6. मुलाकात कक्ष एवं उपकरण प्रत्येक मुलाकात के बाद सैनिटाईज किये जाये।
7. बंदियों को दूरभाष व वीडियो कॉलिंग की सुविधा पूर्ववत जारी रहेगी।
8. मुलाकात का समय पूर्व के अनुसार (कारागृह द्वारा निर्धारित किया हुआ) ही रहेगा।
9. मुलाकात करवाने वाले स्टाफ मास्क व ग्लोव्ज (दस्तानें) पहनते हुए सामाजिक दूरी का पूर्णतः पालन करेंगे।
10. मुलाकात के समय बाहर से सामान देना प्रतिबंधित रहेगा।

11. केन्द्रीय कारागृह में पूर्व निर्धारित 6 दिवस (सोमवार को छोड़कर) तथा जिला व उप कारागृहों में पूर्व निर्धारित 04 दिन (रविवार, मंगलवार, बुधवार व शनिवार) को मुलाकात करवाई जावेगी।

इस संबंध में समस्त कारागृहों के मुख्य गेट एवं नोटिस बोर्ड पर आवश्यक सूचना चस्पा की जावे।

उक्त निर्देशों की पूर्ण पालना सुनिश्चित की जावे।

यह आदेश पूर्व के आदेशों के अतिक्रमण में जारी किया जाता है।

(भूपेन्द्र कुमार दक)
महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. अति. महानिदेशक कारागार राजस्थान, जयपुर।
2. महानिरीक्षक पुलिस/कारागार राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर/जोधपुर/उदयपुर।
4. समस्त अधीक्षक/उपाधीक्षक, केन्द्रीय/जिला कारागृह, राजस्थान।
5. अधीक्षक, विशिष्ट, केन्द्रीय कारागृह, श्यालावास (दौसा)
6. अधीक्षक, उच्च सुरक्षा कारागृह, अजमेर।
7. समस्त अधीक्षक/अति. पुलिस अधीक्षक/उपाधीक्षक, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
8. समस्त अधीक्षक/प्रभारी, महिला बंदी सुधारगृह, राजस्थान।
9. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान,अजमेर।
10. समस्त प्रभाराधिकारी, उप कारागृह, राजस्थान।
11. प्रभारी कम्प्यूटर सैल, महानिदेशालय कारागार, जयपुर-वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

महानिदेशक एवं महानिरीक्षक
कारागार राजस्थान, जयपुर